

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:- 1262 दिनांक:- 08.10.2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- 132KV D/C बरही-इटखोरी ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत 4.0885 हे० एवं हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत 24.8509 हे० कुल 28.9394 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा का पत्रांक 964 दिनांक 04.09.2021 एवं वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग का पत्रांक 1670 दिनांक 27.09.2021

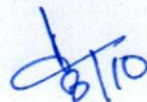
महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों की (छायाप्रति संलग्न) के संबंध में सूचित करना है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव सं० FP/JH/Trans/45211/2020 हेतु कुल 28.9394 हे० वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy की प्रत्येक वन प्रमंडल से पाँच-पाँच प्रतियाँ इस कार्यालय में प्राप्त हुई हैं। इस परियोजना की ट्रांसमिशन लाईन दो वन प्रमंडलों क्रमशः चतरा दक्षिणी एवं हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल से होकर गुजरेगी। उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों से प्राप्त वन संरक्षकों के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :-

1. यह परियोजना कुल दो वन प्रमंडल क्रमशः, चतरा दक्षिणी एवं हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है।
2. इस परियोजना में कुल 28.9394 हे० वनभूमि अन्तर्गस्त है, जिसमें 20.6205 हे० जंगल-झाड़ एवं 8.3189 हे० अधिसूचित वनभूमि है।
3. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति रकबावार/प्रमंडलवार निम्नवत् है :-

क्र०	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा	जंगल-झाड़ी वनभूमि का रकबा	कुल रकबा	वनस्पति घनत्व
1	चतरा दक्षिणी	0.378	3.7105	4.0885	0.4
2	हजारीबाग पश्चिमी	7.9409	16.91	24.8509	0.6
कुल - 02		8.3189	20.6205	28.9394	

4. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र Form-A part-I में अभियुक्ति दर्ज कर आवेदन दर्ज है। तथा भारत सरकार के website पर निर्धारित Format में अभियुक्ति दर्ज कर Upload किया गया है।



5. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी प्लॉटवार/मौजावार/रकबावार/प्रमंडलवार निम्नवत् है।

हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल

SL. No.	NAME OF BLOCK	NAME OF MOUZA	THANA No	SHEET No	KHATA NO	PLOT NO.	AREA (Ha)		MOUZA WISE TOTAL FOREST LAND(Ha)
							FOREST.	J J LAND	
1	BARHI	DUMARDIH	62	2	85	1576	0	0.52920	5.08140
					85	1627	0	1.59300	
					34	1646	0	1.31220	
					85	1683	0	0.98820	
					85	1684	0.19440	0.46440	
2		KARSO	61	1	121	451	0	2.56500	0.18850
				2	121	3703	0.02160	0.01890	
					121	3662	0	0.12500	
					121	3609	0	0.02300	
3		KATIAUN	63	E	16	838	0.16470	0	4.14230
					1	973	0.24300	0.33480	
					1	978	1.69070	0.30320	
					1	979	0.93340	0.47250	
4		KHANRAAHAR	56	2	11	1024	1.14260	1.11830	6.85630
					4	1042	0.37800	0.91800	
					45	1439	0.04860	1.86840	
					45	1440	1.20420	0.17820	
				3	45	1445	0.82890	1.36080	2.18970
5		GOURIAKARMA	2	1		4	0	0.42120	0.42120
6		KHARAUN	64	1		570	0	0.23300	0.23300
				2	3	899	0	0.35200	0.35200
	CHAUPARAN	HAZARI DHAMNA	171	2	70	2662	0	0.87750	2.82150
					70	2663	0.22140	0.64260	
					70	2665	0.86940	0.21060	
TOTAL:-							7.94090	16.91000	24.85090

चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल

SL. No.	NAME OF BLOCK	NAME OF MOUZA	THANA No	SHEET No	KHATA No	PLOT NO.	AREA (Ha)		MOUZA WISE TOTAL FOREST LAND(Ha)
							FOREST	J J LAND	
1	MAJURHEND	BELKHORI	181	2	73	7167	0	1.0510	1.0510
2		KANAUDI CHOTHA	206	E	24	332	0.3780	2.6595	3.0375
TOTAL:-							0.3780	3.7105	4.0885

डा. वि. क.

6. प्रस्ताव के साथ पार्ट-II में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी एवं हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल का मंतव्य दर्ज है। एवं पार्ट-III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा एवं वन संरक्षक प्रादेशिक, अंचल हजारीबाग का मंतव्य दर्ज है। साथ ही अलग-अलग संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारियों का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निर्धारित Format पार्ट-II में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज कर website पर अपलोड किया गया है। हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल हेतु पार्ट-II एवं पार्ट-III में क्रमशः वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग, पश्चिमी वन प्रमंडल एवं वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग द्वारा प्रस्ताव हेतु निम्नांकित अभियुक्ति दर्ज की गई है।

"The soil along the proposed transmission line is highly vulnerable to soil erosion. It has been recorded that many wild animals including Elephant have been criss crossing the proposed site because of their vicinity to Hazaribag wildlife Sanctuary and Gautam Buddha wildlife Sanctuary.

Hence, all precaution should be taken to avoid electrocution of wildlife especially Elephants, so ABC cables (Insulated Aerial Bundled Cables)/Underground cable should be preferred in the area. In case of overhead transmission line, the height of the transmission line be kept more than trunk height of the Elephant.

The proposal is meant for construction and development of transmission system and also to mitigate the actual shortage of power due to non availability/inadequate capacity of transmission system in the area. A large number of people will be benefited by this project.

In view of the aforesaid facts, this proposal is being recommended for the diversion of Forest land for construction of 132 KV transmission line from Barhi to Ikhori transmission line."

7. पार्ट-IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।
8. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है।
9. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर ट्रान्समिशन लाईन का आरेखन दिखाते हुए संलग्न है।
10. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का Geo referenced मैप संलग्न है।
11. प्रस्ताव के साथ वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।
12. दोनों वन प्रमंडलों में Transmission line संरेखन में पड़ने वाले वृक्षों की कुल संख्या 2889 है।
13. प्रस्ताव के साथ लागत-लाभ विश्लेषण संलग्न है।
14. इस परियोजना में प्रस्तावित कुल 20.6205 हे० जंगल-झाड़ भूमि उपयोग हेतु उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक 227 एवं 229 दिनांक 17.03.2021 द्वारा 16.91 हे० हेतु एवं उपायुक्त, चतरा के पत्रांक 1266 दिनांक 01.10.2020 द्वारा कुल (9.168 एकड़) 3.711 हे० हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न है।
15. प्रस्ताव के साथ FRA 2006 के तहत उपायुक्त, चतरा का पत्रांक 1948 दिनांक 22.12.2020 द्वारा 4.0885 हे० एवं उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक 226 एवं 228 दिनांक 17.03.2021 द्वारा 24.08509 हे० कुल 28.9394 हे० हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र एवं इस क्रम में आमसभा/ग्रामसभा की बैठक की कार्यवाही की प्रति के साथ संलग्न है।
16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है।
17. वन प्रमंडल पदाधिकारी चतरा दक्षिणी एवं हजारीबाग पश्चिमी ने अपने पार्ट-II के कंडिका 11 के उप कंडिका (I) में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि पर किसी भी प्रकार के violation नहीं किये जाने की सूचना दी गई है।

6/10

18. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोनों वन प्रमंडलों में अपयोजन होने वाली प्रस्तावित कुल 28.9394 हे० वनभूमि के दो गुणे 57.8788 हे० अवकृष्ट वन भूमि के विरुद्ध कुल 60.00 हे० अवकृष्ट वन भूमि का चयन किया गया है, जो प्रमंडलवार निम्नवत् है :-

क्र०	वन प्रमंडल पदाधिकारी का नाम	मौजा का नाम	थाना / थाना नं०	प्लॉट सं०	चयनित अवकृष्ट वनभूमि का रकबा हे०
1	चतरा दक्षिणी	बागमुण्डी	इटखोरी / 129	2526	10.00
2	हजारीबाग पश्चिमी	चलकुशा	बरकठठा / 18	1850,1916, 1558,1886, 1404, 1816, 1466	50.00 हे०
कुल :-					60.00 हे०

प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का नक्शा, DGPS, KML file, संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारियों का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है।

19. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना, गज आरक्ष एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है।
20. प्रस्ताव के साथ CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्ति हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्ति होने पर अलग से भेजा जायेगा।
21. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है।

दोनों वन प्रमंडलों से संबंधित प्रस्ताव की तीन-तीन मूल प्रतियाँ भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु कुल 28.9394 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज-I प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(HoFF) का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:-यथोक्त।

मूल प्रस्ताव तीन-तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन



प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।


6.10.21

PART -IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

132KV Barhi to itkhorí T/L against NIT 306 PKG

28.9394 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance or otherwise of the proposal with remarks)

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 28.9394 ha. of Forest land.

Date :- 06.10.2021

Place :- Ranchi

Signature

(AJAY KUMAR RASTOGI)

Nodal Officer

Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests

Cum-Executive Director

Waste Land Development Board

Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)

~~SECRET~~

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-14-01 BY 60322
UCBAW